न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई
स्वत्व अपील वाद संख्या–10/2012
(स्वत्व वाद संख्या–15/2007 से उत्पन्न)

03.12.2025 अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अभिलेख पर पूर्व से उपस्थित आवेदन दिनांक 04.11.2025 को प्रचालित नहीं किया गया और उस पर(Not Pressed) अंकित किया गया है अतः प्रचालित नहीं करने के कारण अपीलकर्ता का आवेदन दिनांक 04.11.25 को खारिज किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
जमुई।

पश्चात्

03.12.25 1. आपीलकर्ता बिन्दुमाला देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन दिनांक 17.11.25 को प्रचालित कर निवेदन किया गया कि अपीलकर्ता बिन्दुमाला देवी पत्नी गोपाल प्रसाद गुप्ता की मृत्यु दिनांक 02.07.25 को अपने घर पर हुयी। बिन्दुमाला देवी अपने पीछे अपने पति गोपाल प्रसाद गुप्ता तथा तीन पुत्र सूरज, विजय गुप्ता, गौरव कुमार, रंजित कुमार और अपनी एक पुत्री अंकिता कुमारी को छोड़कर स्वर्गवासी हुये। बिन्दुमाला देवी की उक्त विधिक उत्तराधिकारी इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। बिन्दुमाला देवी अपीलकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न किया गया है।

अतः बिन्दुमाला देवी के विधिक उत्ताराधिकारियों का नाम बिन्दुमाला देवी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का निवेदन करते हैं तथा मृतिका बिन्दुमाला देवी का नाम अभिलेख से विलोपित करने का निवेदन करते हैं। आवेदक द्वारा प्रतिस्थापन्न आवेदन में बिन्दुमाला देवी के विधिक उत्ताराधिकारियों का नाम पता एवं उम्र दिया गया है। आवेदक द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 22 में नियम 4 के अन्तर्गत दिनांक 17.11.25 को एक आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि बिन्दुमाला देवी की मृत्यु दिनांक 02.07.25 को उनके घर पर हो गयी और प्रतिस्थापन्न से संबंधित आवेदन अपीलकर्ता द्वारा जानकारी के अभाव में समयसीमा के अन्तर्गत

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई
स्वत्व अपील वाद संख्या–10/2012
(स्वत्व वाद संख्या–15/2007 से उत्पन्न)

03.12.2025
लगातार

अर्थात् मृतिका के मृत्यु के 90 दिन के अन्दर दाखिल नहीं किया जा सका, इसलिए प्रतिस्थपन्न आवेदन में हुये विलम्ब को माफ करते हुये प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन करते हैं।

2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय से निवेदन करते हैं कि जानकारी के पश्चात् भी अपीलकर्ता द्वारा समयसीमा के अंदर प्रतिस्थापन्न आवेदन नहीं दिया गया। अतः प्रतिस्थापन आवेदन खर्च के साथ स्वीकृत किया जा सकता है।

3. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि अपीलकर्ता के प्रतिस्थापन आवेदन में विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा No objection लिखा गया है परंतु बहस के दौरान विरोध करते हुये कहा गया कि अपीलकर्ता के लापरवाही के कारण विपक्षी को आर्थिक हानि हुयी है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन खर्च के साथ स्वीकृत किया जाए। उभय पक्षों द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ता बिन्दुमाला देवी की मृत्यु 02.07.25 को उनके घर पर हो गयी और बिन्दुमाला देवी के विधिक उत्तराधिकारियों जिनका नाम प्रतिस्थापन आवेदन में दिया गया है उनके बारे में विपक्षी द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन मृतिका बिन्दुमाला देवी की मृत्यु के 90 दिन के बाद दाखिल किया गया है। अतः 500/–रू0 खर्च के साथ प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुये विलम्ब को माफ करते हुये अपीलकर्ता का प्रतिस्थापन्न आवेदन दिनांक 17.11.25 स्वीकृत किया जाता है। अपीलकर्ता समयसीमा के अन्तर्गत अपने अभिवचन में मृतिका बिन्दुमाला देवी का नाम विलोपित कर उनके उत्ताराधिकारियों को प्रतिस्थापित करे तथा कार्यालय लिपिक अभिलेख पर उपस्थित संधिपत्र पर सिरिस्तेदार के रिपोर्ट हेतु अभिलेख सिरिस्तेदार के समक्ष प्रस्तुत करे तथा इस वाद की प्राचीनता को देखते हुये सिरिस्तेदार बिना विलम्ब किये अपना प्रतिवेदन इस न्यायालय में समर्पित करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
जमुई